लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन–2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक : BRLPS/LSBA-Proj/11/17/61 दिनांक : 25.05.2017

प्रेषक,

बालामुरुगन डी०, भा०प्र०से०
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय:- "लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान" अंतर्गत लाभुको द्वारा निर्मित शौचालयों का सतत सफलता हेतु बेहतर शौचालय तकनीक के सम्बन्ध में।

महाशय/महाशया,

राज्य के सात निश्चय में शामिल एक निश्चय "शौचालय निर्माण घर का सम्मान" तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत राज्य को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त किया जाना है।

उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी जिलों द्वारा लगातार बेहतर प्रयास किये जा रहे है। इस अभियान अंतर्गत लाभुको को <u>दो गड्ढे वाले सोख्ता शौचालय</u> का निर्माण हेतु प्रेरित किया जाता है, जो ग्रामीण परिवेश में बेहतर विकल्प है तथा यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सत्यापित है।

विगत महीनो में भारत सरकार एवं राज्य स्तरीय दल द्वारा कई जिलों के भ्रमण के उपरांत यह पाया गया है कि शौचालय तकनीक को ग्रामीणों के बीच सही तरीके से पहुँचाने एवं आवश्यक तकनीक पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आपके स्तर से भी जिला एवं प्रखंड स्तरीय कर्मियों को शौचालय तकनीक के प्रचार-प्रसार एवं प्रमुख बिन्दुओ के सम्बन्ध में निदेश दिया जा सकता है। शौचालय तकनीक से सम्बंधित निम्न बिन्दुओ पर विशेष ध्यान आकृष्ट कर उनमें आवश्यक सुधार किये जाए –

गलत तकनीक	सही तकनीक
एक गड्ढे वाला सोख्ता शौचालय	दो गड्ढे का ही शौचालय बनाया जाय
गड्ढे की गोलाई एवं गहराई मानक से कम	दोनों गड्ढे की गहराई तथा गोलाई 1 मीटर तक
दो गड्ढों के बीच मानक से कम दुरी	दोनों गड्ढे के बीच 1 मीटर की दुरी होनी चाहिए
छिद्ररहित रिंग वाला गड्ढा	छिद्रयुक्त रिंग वाला गड्ढा
मधुमक्खी के छत्ते (Honey Comb) का आभाव	गड्ढे में ईंटों की जुड़ाई मधुमक्खी के छत्ते (Honey Comb) की तरह हो
निगरानी कक्ष तथा उसका मानक के अनुसार निर्माण का आभाव	निगरानी कक्ष अन्दर से 12 इंच x 12 इंच का होगा। निगरानी कक्ष की अन्दर की दीवारें चिकनी व गोलाकार होती है ताकि मानव मल इकट्ठा न हो पाए

गलत तकनीक	सही तकनीक
आवास से दूर शौचालय निर्माण	शौचालय का निर्माण घर के प्रांगन एवं नजदीक में हो ताकि महिला, पुरुष, वृद्धजनों एवं दिव्यांग को शौच करने में परेशानी नहीं हो
जल स्रोत के नजदीक	जगह रहने पर आदर्शत: जल स्रोत से 10 मीटर की दुरी पर हो अन्यथा कम से कम 10 फीट की दुरी पर अवश्य हो
शौचालय का कमरा मानक से कम होना	शौचालय के कमरे की न्यूनतम ऊँचाई- आगे से 6 फीट तथा पीछे से 5.5 फीट, अन्दर से न्यूनतम लम्बाई और चौड़ाई - 4 फीट x 3 फीट का होगा
सेप्टिक शौचालय का गन्दे पानी की निकासी सोख्ता गड्ढे के जगह खुले में या नाली में प्रवाह	यदि कोई सेप्टिक शौचालय बनाता है तो दूषित पानी के प्रवाह हेतु उसके साथ सोख्ता गड्ढे अवश्य बनवाया जाय

अतः उपरोक्त सही तकनीक बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही शौचालय बनवाया जाय ताकि ग्रामीण परिवेश को खुले में शौच से मुक्त किया जा सके।

विश्वासभाजन,

(बालामुरुगन डी०)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक

ज्ञापांक:- BRLPS-LSBA/Proj/11/17/61 दिनांक – 25.05.2017

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड समन्वयक/ प्रखंड परियोजना प्रबंधक (जीविका)/ जिला समन्वयक/ जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी निदेशक लेखा, डी.आर.डी.ए. सह सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ।

(बालामुरुगन डी०)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक